रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 4, 2009/फाल्गुन 13, 1930

No. 129] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 2009/PHALGUNA 13, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2009

सा.का.नि. 148(अ).—केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2008 का प्रारूप, सा.का.नि. संख्यांक 581(अ), तारीख 7 अगस्त, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थीं, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 12 अगस्त, 2008 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित 8 की उप-धारा (2) धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के प्ररूप 2 और प्ररूप 4 में ''आवेदक द्वारा दी जाने वाली विशिष्टियों'' शीर्षक के अधीन मद 11 के उपमद (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(i) यदि समनागरिक या जन्म द्वारा नागरिक है

(तो भारतीय के रूप में नागरिकता के समर्थन में निम्नलिखित में से कोई एक संलग्न किया जाना चाहिए) :—

(क) नगर पालिका या जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार से भारत में जन्म का सबूत ;

(ख) विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र/राष्ट्रीयता दर्शित करने वाला माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र ;

(ग) जन्म स्थान नागरिकता/राष्ट्रीयता दर्शित करने वाला पासपोर्ट ;

(घ) जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी राष्ट्रीयता/नागरिकता का प्रमाण पत्र ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा जारी निवास परमिट/अधिवास प्रमाण पत्र ;

(च) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा संपत्ति का पट्टा/लीज को प्रदान करना ;

(छ) 1947—1950 की अवधि के शरणार्थी रजिस्ट्रीकरण कार्ड ;

(ज) अजा/अजजा/अपिव का प्रमाण पत्र ।''

3. उक्त नियम के प्ररूप 23 में "पूरा पता (अस्थायी)" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी :—

"पैन संख्या ...."

4. उक्त नियम के प्ररूप 23क में मद 5 में उप-मद 5.3 के पश्चात् निम्नलिखित उप-मद अंत:स्थापित की जाएगी :— "पूरा पता (अस्थायी) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"5.4 पैन संख्या ...."

[फा. सं. आरटी-11021/31/2007-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 में अधिसूचित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 84(अ), तारीख 9 फरवरी, 2009 द्वारा अंतिम रूप में संशोधित किये गये थे ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2009

G.S.R. 148(E).—Whereas the draft of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2008 was published *vide* number G.S.R. 581(E), dated the 7th August, 2008, as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 12th day of August, 2008;

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8, sub-section (2) of Section 9, Section 41 read with Section 27 of the Motor Vehicles Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in Form 2 and Form 4, under the heading "Particulars to be furnished by applicant", in item 11, for sub-item (i), the following sub-item shall be substituted, namely :—

"(i) If deemed Citizen or Citizen by Birth,

(any one of the following in support of Citizenship as Indian to be enclosed) :—

(a) Proof of birth in India from municipality or Registrar of Births and Deaths;

(b) School leaving certificate/Secondary School certificate showing nationality/place of birth;

(c) Passport showing place of birth/citizenship/ nationality;

(d) Certificate of Nationality/citizenship issued by District Magistrate or any other Administrative officer;

(e) Residency Permit/domicile certificate issued by the State Government;

(f) Grant of patta/lease of property by the Central/State Government;

(g) Refugee Registration Card pertaining to the period 1947-1950;

(h) Certificate of SC/ST/OBC."

3. In the said rules, in Form 23, after the entry "Full address (Temporary)", the following entry shall be inserted, namely :—

"PAN No....................."

4. In the said rules, in Form 23A, in item 5, after sub-item 5.3, the following sub-item shall be inserted, namely:— after the entry "Full address (Temporary)", the following entry shall be inserted, namely :

"5.4 PAN No................."

[F. No. RT-11021/31/2007-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were notified in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* number G.S.R 84(E) dated 9th February, 2009.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.